

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस10 )

वाद सं0 : 112 सन 2019

अनवान :-

1. रामलाल पुत्र मोडदास जाति मेधवंशी निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।

बनाम

1. मोडदास पुत्र केसरदास जाति मेधवंशी निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
2. कृष्णलाल 3 गोरीशंकर पि0 मोडदास जाति मेधवंशी निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
3. गुडडीदेवी 5 विमालादेवी पुत्रीयान मोडदास जाति मेधवंशी निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर
6. राजस्थान सरकार जरिय तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्रीनरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :- 11.02.2019

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा मन्दरपुरा के खाता संख्या 396/328 के खसरा न0 672 की 5.9440हैक जिसके पूर्व में वादी के दादा केसरदास खातेदार काश्तकार थे वादी के दादा केसरदास पुत्र नन्दराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्रगणों पर आद हुई एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से में रोही मौजा मन्दरपुरा के खाता संख्या 396/328 की कुल 5.9440हैक भूमि हिस्से में आई है विरास्तन से वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज होने के कारण वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 का बराबर का हक हिस्सा है तथा 4,5 जो वादी की बहने है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पक्ष में किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी के वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 को तलब किया गया तत्पश्चात् प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 स्वयं न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरास्तन से प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 4,5 जो वादी की बहने है ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग अपने भाई/पिता के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया जा चुका है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है जो पूर्व में वादी के दादा के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर प्रतिवादी संख्या 1

शैदी

